**मध्यप्रदेश शासन**

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**

**:: आदेश ::**

**भोपाल, दिनांक 24/01/2025**

क्र. IPI/5/0049/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स ट्राइडेंट लि. द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में टेरी टॉवल निर्माण हेतु विद्यमान टेक्सटाईल इकाई में रूपये 188.68 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश (पुनरीक्षित रु. 134.31 करोड) से विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2212010001) पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** परियोजना को प्लांट-मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, शर्तो के अध्याधीन 7 वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पात्रता अनुसार पृथक से प्राप्त होगी।

2. **ब्याज अनुदान-** परियोजना अंतर्गत टेक्सटाईल हेतु स्थापित की गई प्लांट एवं मशीनरी पर वित्तीय संस्था/ बैंक से लिये गये टर्म लोन पर उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अनुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाये।

3. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष में नियुक्त किये गये मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नवीन कर्मचारियों हेतु प्रति कर्मचारी रू. 13000/- की दर से प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति, अधिकतम रुपये 50 लाख तक, प्रदान की जाये।

4. **रोजगार सृजन अनुदान-** परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 2 वर्ष तक नियुक्त प्रति कमर्चारी हेतु रू. 5000/- प्रति माह की दर से रोजगार सृजन अनुदान 05 वर्ष हेतु प्रदान की जाये। परियोजना हेतु यह सहायता अवधि उत्पादन दिनांक से अधिकतम 05 वर्ष तक सीमित होगी।

5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में एमपीआईडीसी को आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम**
**से तथा आदेशानुसार**

**(शाश्वत सिंह मीना)**
**उप सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**

**निरंतर.....**

पृ. क्र. IPI/5/0049/2023/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला- सीहोर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, उपाध्यक्ष, मेसर्स ट्राइडेंट लि., Trident Complex Hoshangabad Road Budhni (M.P.) - 466445.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग